

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख)(पांच) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कर्मिकों के स्थानान्तरण हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का विवरण -

क्र० सं०	प्र०अ० का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / विकासखण्ड / जनपद / श्रेणी सहित	राजकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि		प्र०अ० सवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि		सम्पूर्ण सेवा काल में दुर्गम क्षेत्र की कुल सेवा अवधि			विधवा / विधुर / परित्यक्ता (विधवा-विधुर की स्थिति में पति अथवा पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र / परित्यक्ता की स्थिति में मा. न्यायालय के आदेश की प्रति / वरिष्ठ कर्मिक की स्थिति में जन्म तिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)	अभ्युक्ति	
				वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन	वर्ष			माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मौ० सलीम अहमद	उर्दू	तेलपुरा सगवानपुर / दुर्गम	16.12.1994	26.05.2020	19	8	17	17	2	20	वरिष्ठ कर्मिक	धारा 17(ख)(पांच) से आच्छादित है

उपशिक्षा अधिकारी
खानपुर

उपशिक्षा अधिकारी
लकसर

उपशिक्षा अधिकारी
रूडकी

उपशिक्षा अधिकारी
नारसन

उपशिक्षा अधिकारी
बहादुराबाद

उपशिक्षा अधिकारी
भगवानपुर